प्रश्न: पेटेंट अधिनियम के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने की आशंका है? स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर: विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) समझौते के तहत भारत को दवाओं, खाद्य पदार्थों और रसायनों के मामले में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को 1 जनवरी, 2005 से लागू करना था। अतः भारत सरकार द्वारा अधिनियमित इस उत्पाद पेटेंट प्रणाली में किसी भी उत्पाद का नवीनता के आधार पर पेटेंट होना होता है, चाहे उसके निर्माण में कोई भी प्रक्रिया अपनायी गयी हो। ऐसे उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन कर उसकेजैसे अन्य उत्पाद का आविष्कार एवं निर्माण नहीं किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को नवीन उत्पाद पेटेंट प्रणाली निम्न रूप से प्रभावित कर सकती है -

- उत्पाद पेटेंट प्रणाली के लागू होने का महत्वपूर्ण प्रभाव दवा एवं फार्मास्युटिक उद्योग पर पड़ेगा। इससे दवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी।
- भारत की जनसंख्या का लगभग 20-30% भाग ही स्वास्थ्य के लिए दवा खरीदने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दवाओं पर उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू होने से "सबके लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।
- इस प्रणाली के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण अधिनियम द्वारा भी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में दवाओं की कीमतों में कमी करने के लिए आयातकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- देश की छोटी दवा कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगी और अंत में उन्हें बन्द करना होगा। इस प्रकार, इस पेटेंट प्रणाली से बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही लाभान्वित होंगी। भारत जैसे विकासशील देश इसके लाभों से वंचित ही रहेंगे।
- देश की बड़ी कंपनियां यदि विदेशी कंपनियों के साथ उनकी पेटेंट दवाओं का भारत में उत्पादन करने का कोई समझौता कर लेती हैं, तो रॉयल्टी के रूप में बहुत बड़ी राशि उन्हें देनी होगी। इससे दवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी।
- पेटेंट प्रक्रिया भी सरल नहीं है; जो भारतीय कंपनियां अपनी दवा का पेटेंट कराना चाहती हैं, उन्हें इसके लिए अधिक धन खर्च करना पड़ेगा और उन्हें एक जटिल प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।

उपर्युक्त प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद भारत को नवीन उत्पाद पेटेंट प्रणाली से आविष्कार आदि करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे शोध एवं विकास को बल मिलेगा। नयी उत्पाद पेटेंट से भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यथेष्ट स्थान दिलाने तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समान प्रतियोगी एवं उत्पादक बनाने के लिए देश के उद्योग एवं व्यापार जगत को कठोर परिश्रम करना होगा।